तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7645/2006/अलवर प्रकाशनारायण बनाम राधेश्याम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित
श्री गजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री राहुल तिवारी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः- 18-12-2019

यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत अतिरिक्त अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-10-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 15-05-1979 के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 03-01-1998 द्वारा खारिज करते हुए आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही को यथावत रखा। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 16-10-2006 के द्वारा स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-01-1998 एवं नामान्तरकरण संख्या 31 की कार्यवाही को अपास्त कर दिया। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 16-10-2006 से व्यथित होकर प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की।

हमने निगरानी के संबंध में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7645/2006/अलवर प्रकाशनारायण बनाम राधेश्याम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में निष्कर्ष अंकित किया कि अप्रार्थीगण को नियमित वाद दायर कर अपने हक का निर्धारण कराना चाहिए। आगे अंकित किया कि खातेदारी अधिकारों का सृजन नामान्तरकरण की कार्यवाही के जरिये हासिल नहीं किए जा सकते। इसके बावजूद भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही व अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर भूल की है। उनका कहना है कि प्रश्नगत रकबा प्रार्थीगण को नामान्तरकरण संख्या 10 से प्राप्त हुई, जिसे आदिनांक तक किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है । जबकि न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि नामान्तरकरण संख्या 10 के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 31 स्वीकृत हुआ है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबा वर्तमान में सुन्दरलाल, प्रहलाद की खातेदारी में दर्ज है जों कि अपील के आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु असल अप्रार्थीगण को तहत न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार प्रतिस्थापित नहीं किया। उनका यह भी तर्क है कि असल प्रार्थीगण मीनी देवी के खानदान के नहीं है और न ही विशम्भर दयाल व मीनी देवी के पुत्र है बल्कि अप्रार्थीगण गणपतराम के पुत्र है। जिनका कि प्रश्नगत रकबे में कोई अधिकार व हक तथा कोई संबंध नहीं है। उक्त समस्त तथ्यों के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अनियमितता की है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में हस्तगत निगरानी में विधि का बिन्दु प्रकट होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16-10-2006 को निरस्त करते हुए तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-01-1998 व नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक 15-05-1979 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7645/2006/अलवर प्रकाशनारायण बनाम राधेश्याम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधि सम्मत है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उनका कहना है कि आलोच्य नामान्तकरण की कार्यवाही विभाजन पत्र की शर्तो के अनुसार नहीं किया गया है अर्थात सहखातेदार के पक्ष में जों भूमि प्राप्त हुई है उसी के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित की कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए। उनका यह तर्क है कि आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही में एक दूसरे की भूमि को एक दूसरे के नाम अंकित कर दी गई और अप्रार्थीगण का हिस्सा कम दर्ज कर दिया गया। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी सारहीन होना प्रकट होती है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 15-05-1979 को आक्षेपित करते हुए प्रार्थी ने आलोच्य निगरानी पेश की है। प्रार्थी का आक्षेप है कि अप्रार्थीगण को नियमित वाद दायर कर अपने हक का निर्धारण कराना चाहिए। खातेदारी अधिकारों का सृजन नामान्तरकरण की कार्यवाही के जरिये हासिल नहीं किए जा सकते। इसके बावजूद भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही व अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर भूल की है। जबकि प्रश्नगत रकबा प्रार्थीगण को नामान्तरकरण संख्या 10 की कार्यवाही से प्राप्त हुई, जिसे आदिनांक तक किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। जबकि न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि नामान्तरकरण संख्या 10 के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 31	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7645/2006/अलवर प्रकाशनारायण बनाम राधेश्याम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकृत हुआ है। प्रश्नगत रकबा वर्तमान में सुन्दरलाल, प्रहलाद की खातेदारी में दर्ज है जों कि अपील के आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु असल अप्रार्थीगण को तहत न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार प्रतिस्थापित नहीं किया। असल अप्रार्थीगण मीनी देवी के खानदान के नहीं है और न ही विशम्भर दयाल व मीनी देवी के पुत्र है बल्कि अप्रार्थीगण गणपतराम के पुत्र है। जिनका कि प्रश्नगत रकबे में कोई अधिकार व हक तथा कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण की आपत्ति है कि आलोच्य नामान्तकरण की कार्यवाही विभाजन पत्र की शर्तो के अनुसार नहीं किया गया है अर्थात सहखातेदार के पक्ष में जों भूमि प्राप्त हुई है उसी के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए। आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही में एक दूसरे की भूमि को एक दूसरे के नाम अंकित कर दी गई और अप्रार्थीगण का हिस्सा कम दर्ज कर दिया गया। रेकार्ड के अनुसार मामले में आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही पंजीकृत विभाजन पत्र दिनांक 14-09-1957 के आधार पर सम्पादित की गई है। उक्त विभाजन पत्र के सम्पादित होने के बाद बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान प्रश्नगत रकबे के नये खसरा नम्बरान में परिवर्तन हुआ है तथा आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान परिवर्तित खसरा नम्बरान का अंकन किया गया तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही में वर्तमान खसरा नम्बरान का ही अंकन है। पक्षकारान के मध्य वर्ष 1957 के बंटवारेनामे और आलोच्य नामान्तरकरण के कालम संख्या 6 में खसरा नम्बर की स्थिति भिन्न प्रकट होती है। आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही में खसरा नम्बरान की स्थिति को बदल दिया गया और एक पक्ष का हिस्सा कम दर्ज कर दिया गया। पक्षकारान के मध्य उत्पन्न हुई जटिलताएं को कम करने तथा भविष्य में और अधिक कानूनी पेचीदगी पैदा नही हो। उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत निगरानी में विधि का उपचार उपलब्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7645/2006/अलवर प्रकाशनारायण बनाम राधेश्याम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार कर मामले में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाकर संबंधित तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाना समीचीन है कि विभाजन पत्र वर्ष 1957 के परिप्रेक्ष्य में समस्त पक्षकारान को सुनकर तथा मिलान क्षेत्रफल के आधार पर सकारण व सुस्पष्ट रूप से पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करें।

उपरोक्त सम्पर्ण विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–10–2006, अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–01–1998 तथा नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 15–05–1979 की कार्यवाही को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय पंजीकृत विभाजन पत्र दिनांक 14–09–1957 के अनुसार समस्त पक्षकारों की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए व उन्हें साक्ष्य का अवसर प्रदान कर तथा संबंधित भूमि का मिलान क्षेत्रफल प्राप्त कर उसका विधिवत परीक्षण कर पुनः नये सिरे से स्पष्ट व सकारण नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7645/2006/अलवर प्रकाशनारायण बनाम राधेश्याम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए